कार्यालय,
जिला कृषि पदाधिकारी–सह–
परियोजना निदेशक, आत्मा, हजारीबाग

आम–सूचना

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में केन्द्र प्रायोजित योजना Mission for Aatmanirbharta in Pulses अर्न्तगत Processing Units की स्थापना हेतु उप निदेशक (यो०)–सह–नोडल पदाधिकारी, दलहन मिशन, कृषि निदेशालय, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–1827, दिनांक–16.04.2026 द्वारा हजारीबाग जिला में योजनाओं का क्रियान्वयन निम्न प्रकार से किया जाना है–

क्र० सं०	योजना का नाम	कार्य अवयव एवं लक्ष्य (हे०/यूनिट)
		भौतिक
1	Mission for Aatmanirbharta in Pulses	**01 Post Harvest Infrastructure (Processing units)** इसके अधिष्ठापन पर निम्नलिखित अनुदान का प्रावधान है– Rate of assistance for Processing and packaging unit is 33% of the project cost or upto Rs. 25 lakh per unit (whichever is less).

उक्त योजना के विभिन्न कार्य अवयवों का लाभ लेने हेतु इच्छुक कृषक / FPOs / PACs / CLFs / Any other register undertaking under any Act अपना आवेदन पंचायती राज संस्था के मुखिया/जनप्रतिनिधि /जिला परिषद् सदस्य से अनुशंसा कराकर आवश्यक कागजात यथा पहचान पत्र/आधार कार्ड/बैंक पासबुक विवरणी/मोबाईल नम्बर/जमीन का रकबा/जमीन का खाता संख्या/प्लॉट नम्बर के साथ पूर्ण विवरणी संलग्न करते हुए विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर कार्यालय अवधि में परियोजना निदेशक, आत्मा, हजारीबाग के कार्यालय में जमा कर सकते है। लाभुक का चयन प्रखण्डवार निर्धारित लक्ष्य अनुरूप पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। सुपात्र लाभुकों के चयन हेतु न्यूनतम मापदण्ड वेबसाइट http:atmahazaribag.org पर देखी जा सकती है।

योजना की विस्तृत जानकारी अपने–अपने प्रखण्ड के प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/प्रखंड तकनीकी प्रबंधक/सहायक तकनीकी प्रबंधक एवं आत्मा कार्यालय, हजारीबाग से कार्यालय अवधि में प्राप्त की जा सकती है।

जिला कृषि पदाधिकारी–सह–
परियोजना निदेशक, आत्मा, हजारीबाग।

कार्यालय,
जिला कृषि पदाधिकारी–सह–
परियोजना निदेशक, आत्मा, हजारीबाग

आम–सूचना

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में केन्द्र प्रायोजित योजना Mission for Aatmanirbharta in Pulses तथा NFSNM-Nutri-cereals योजनान्तर्गत बीज उत्पादन हेतु उप निदेशक (यो०)–सह–नोडल पदाधिकारी, दलहन मिशन, कृषि निदेशालय, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–1798, दिनांक–10.04.2026 द्वारा हजारीबाग जिला में योजनाओं का क्रियान्वयन निम्न प्रकार से किया जाना है–

क्र० सं०	योजना का नाम	फसल	बीज उत्पादन (क्वि०में)	बीजों उत्पादन पर अनुमान्य अनुदान/क्विंटल	धनराशि (लाख में)	बीज उत्पादन का रकबा हे० मेंद
01	Mission for Aatmanirbharta in Pulses	अरहर	170	4500	7.65000	850
02		उर्द	40	3000	1.20000	200
03		मूंग	30	3000	0.90000	150
04		चना	260	1800	4.68000	347
05		मसूर	30	3000	0.90000	120
06	NFSNM-Nutri-cereals	रागी	302	3000	9.04800	6040

01. बीज 5 वर्ष से कम पुरानी (किस्मों की अधिसूचना की तिथि से 3 वर्ष की अवधि) अधिसूचित किस्मों की दलहन फसलों के प्रमाणित बीजों के उत्पादन मानकों के अनुसार प्रदान की जाएगी। उच्च उपज देने वाली, जलवायु अनुकूल, अल्प एवं मध्यम अवधि वाली, सहनशील किस्मों को प्राथमिकता दी जाएगी।

02. बीज उत्पादक एजेंसियों (झारखण्ड बीज निगम/कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा नामित एजेंसियों) जो झारखण्ड राज्य में बीज उत्पादन का कार्य कर रही है, FPO, बिरसा ग्राम, एवं जिले मे अवस्थित SAU (के० वी० के०) अनुदान के लिए पात्र होंगें। इस घटक के अन्तर्गत प्रमाणित बीज उत्पादन से जुड़ी एजेंसी को उत्पादन प्रणाली का सख्ती से अनुपालन करना होगा। यह कार्य उनके स्थानीय पंजीकृत बीज उत्पादकों के माध्यम से ब्रीडर सीड् खरीद के दस्तावेजी प्रमाण के साथ किया जाएगा।

03. अनुदान की धनराशि कृषि विभाग द्वारा एजेंसियों को बिलों की प्रमाणित प्रति, खरीद प्रमाण पत्र, बीज उत्पादक को भुगतान का प्रमाण और बीज एजेंसी द्वारा उत्पादित प्रमाणित बीज की सत्यापित सूची या बीज अधिनियम की धारा 9 के तहत् जारी बीज उत्पादक–वार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर जारी की जाएगी।

04. एजेंसियाँ बीज उत्पादन के लिए प्रोत्साहन राशि/अनुदान के लिए तभी पात्र होंगें जब वे बीज उत्पादकों से उत्पादित बीज को न्यूनतम समर्थन मूल्य/बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर खरीदेंगी। इस संबंध में भुगतान का प्रमाण पत्र कृषि विभाग को प्रदान किया जाएगा।

अतः सूचित करना है कि आधार बीज (Foundation Seed) से प्रमाणित बीज (certified Seed) उत्पादन के क्षेत्र में काम करने वाले इच्छुक FPO, बिरसा ग्राम ,जिले मे अवस्थित के०वी०के० एवं कृषक योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु shathi portal पर निबंधन कराने के लिए सूची कार्यालय में उपलब्ध करायेंगें। कृषकों की सूची जिला कृषि कार्यालय–सह–परियोजना निदेशक, आत्मा, शंकरपुर कृषि प्रक्षेत्र, हजारीबाग में दैनिक कार्यावधि में सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर उपलब्ध करायेंगे, ताकि ससमय निबंधन कराते हुए योजना का क्रियान्वयन किया जा सके। विस्तृत जानकारी के लिए आत्मा हजारीबाग के website :- https://atmahazaribag.org/ पर गाइडलाइन उपलब्ध हैं।

जिला कृषि पदाधिकारी–सह
परियोजना निदेशक, आत्मा, हजारीबाग।